सिद्धार्थ विश्वविद्यालय कपिलवस्तु,

सिद्धार्थनगर—272202 उ0प्र0 (भारत)

Email Id: registrar@suksn.edu.in, Website : www.suksn.edu.in

पत्रांक—303 /कु0स0का0/सि0वि0वि0/2026, दिनांक—30-05-2026

कार्यालय आदेश

एतदद्वारा समस्त सम्बन्धित को अवगत कराना है कि निदेशक/अपर पुलिस महानिदेशक, यातायात एवं सड़क सुरक्षा, उत्तर प्रदेश के पत्र संख्या—डीटी—820—2021/1/2013 दिनांक 29 मई, 2026 के संदर्भ में प्रदेश के जनपदों में दो पहिया वाहनों (विशेषकर बुलेट/स्पोर्ट्स बाइक) में मॉडिफाइड साइलेंसर एवं अन्य वाहनों में प्रेशर हार्न एवं हूटर लगाये जाने की प्रवृत्ति निरन्तर बढ़ती जा रही है, जिससे अत्यधिक ध्वनि प्रदूषण उत्पन्न हो रहा है। यह न केवल आमजनमानस के स्वास्थ्य एवं शान्ति के लिए हानिकारक है साथ ही सड़क सुरक्षा के लिए भी चुनौतीपूर्ण है। रिट पिटीशन संख्या—15385 (PIL)/2021 Noise Pollution through modified silencers (suo-moto) Vs. State of U.P. & other में मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में दो पहिया वाहनों (विशेषकर बुलेट/स्पोर्ट्स बाइक) में मॉडिफाइड साइलेंसर एवं अन्य वाहनों में प्रेशर हार्न एवं हूटर के विरूद्ध 02 दिवसीय विशेष अभियान चलाये जाने की आवश्यकता है। उक्त के आलोक में अभियान के दौरान राजपत्रित अधिकारी के निकट पर्यवेक्षण में प्रभावी कार्यवाही कराया जाना अपेक्षित है।

उपर्युक्त प्रकरण में मा0 उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ की अपेक्षा के अनुरूप कमिश्नरेट/जनपदों में मॉडिफाइड साइलेंसर, प्रेशर हार्न एवं हूटर की बढ़ती प्रवृत्ति पर नियंत्रण हेतु दिनांक 30—05—2026 से 31—05—2026 तक विशेष अभियान चलाकर प्रभावी कार्यवाही किया जाना है।

अतः मा0 कुलपति जी के आदेशानुसार उपरोक्त के संदर्भ में दिये गये आवश्यक दिशा—निर्देश के क्रम में अक्षरशः पालन करना सुनिश्चित करें।

संलग्नक— यथोपरि।

30/05/26

कुलसचिव
सिद्धार्थ विश्वविद्यालय, कपिलवस्तु,
सिद्धार्थनगर।

पत्रांक— /तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि— निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित—

1. अधिष्ठाता, समस्त संकाय, सिद्धार्थ विश्वविद्यालय कपिलवस्तु, सिद्धार्थनगर।
2. प्राचार्य/प्राचार्या, समस्त सम्बद्ध महाविद्यालय, सि0वि0वि0 कपिलवस्तु, सिद्धार्थनगर।
3. अधिष्ठाता, छात्र कल्याण, सिद्धार्थ विश्वविद्यालय कपिलवस्तु, सिद्धार्थनगर।
4. कुलानुशासक, सिद्धार्थ विश्वविद्यालय कपिलवस्तु, सिद्धार्थनगर।
5. समस्त विभागाध्यक्ष/प्रभारी/शिक्षकगण, सिद्धार्थ विश्वविद्यालय कपिलवस्तु, सिद्धार्थनगर।
6. वित्त अधिकारी, सिद्धार्थ विश्वविद्यालय कपिलवस्तु, सिद्धार्थनगर।
7. परीक्षा नियंत्रक, सिद्धार्थ विश्वविद्यालय कपिलवस्तु, सिद्धार्थनगर।
8. मीडिया प्रभारी/जनसम्पर्क अधिकारी, सिद्धार्थ विश्वविद्यालय, कपिलवस्तु, सिद्धार्थनगर।
9. निजी सचिव, कुलपति, मा0 कुलपति जी के अवलोकनार्थ प्रेषित।
10. समस्त कर्मचारीगण।
11. सम्बन्धित पत्रावली हेतु।

कुलसचिव
सिद्धार्थ विश्वविद्यालय, कपिलवस्तु,
सिद्धार्थनगर।

7478

यातायात निदेशालय, उत्तर प्रदेश

उ०प्र०पुलिस मुख्यालय भवन (सिग्नेचर बिल्डिंग)
चतुर्थ तल, टावर–4 गोमतीनगर विस्तार, लखनऊ

फोन:– 0522–2390468 फैक्स–2390479
ई मेल–dirtraffic@nic.in

पत्र संख्या:डीटी–820–2021/ 2013

दिनांक: लखनऊ: मई29 ,2026

सेवा में,

समस्त पुलिस आयुक्त,
उत्तर प्रदेश।
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक,
प्रभारी जनपद, उत्तर प्रदेश।

विषय:– मॉडिफाइड साइलेंसर, प्रेशर हार्न एवं हूटर की बढती प्रवृत्ति पर नियंत्रण हेतु 02 दिवसीय अभियान चलाये जाने के सम्बन्ध में।

कृपया अवगत कराना है कि प्रदेश के जनपदों में दो पहिया वाहनों (विशेषकर बुलेट/स्पोर्ट्स बाइक) में मॉडिफाइड साइलेंसर एवं अन्य वाहनों में प्रेशर हार्न एवं हूटर लगाये जाने की प्रवृत्ति निरन्तर बढती जा रही है, जिससे अत्यधिक ध्वनि प्रदूषण उत्पन्न हो रहा है। यह न केवल आमजनमानस के स्वास्थ्य एवं शान्ति के लिये हानिकारक है साथ ही सड़क सुरक्षा के लिये भी चुनौतीपूर्ण है। रिट पिटीशन संख्या–15385 (PIL)/2021 Noise Pollution through modified silencers (suo-moto) Vs. State of U.P. & other में मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में दो पहिया वाहनों (विशेषकर बुलेट/स्पोर्टस बाइक) में मॉडिफाइड साइलेंसर एवं अन्य वाहनों में प्रेशर हार्न एवं हूटर के विरुद्ध 02 दिवसीय विशेष अभियान चलाये जाने की आवश्यकता है।

2. उल्लेखनीय है कि माह अप्रैल में विभिन्न तिथियों में 07 बार अभियान चलाये गये, जिसमें कतिपय कमिश्नरेट/जनपदों द्वारा संतोष जनक कार्यवाही नहीं की गयी है, जबकि मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ के निर्णय दिनॉक 02.04.2026 के अनुपालन में मॉडिफाइड साइलेंसर, प्रेशर हार्न एवं हूटर के विरुद्ध के पर्याप्त कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है। उक्त के आलोक में अभियान के दौरान राजपत्रित अधिकारी के निकट पर्यवेक्षण में प्रभावी कार्यवाही कराया जाना अपेक्षित है।

3. अतः प्रश्नगत प्रकारण में मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ की अपेक्षा के अनुरुप कमिश्नरेट/जनपदों में मॉडिफाइड साइलेंसर, प्रेशर हार्न एवं हूटर की बढती प्रवृत्ति पर नियंत्रण हेतु दिनांक 30.05.2026 से 31.05.2026 तक विशेष अभियान चलाकर प्रभावी कार्यवाही कराते हुये कृत कार्यवाही की आख्या/विवरण संलग्न निर्धारित प्रारुप में दिनांक 01-06-2026 को प्रातः 10:00 बजे तक यातायात निदेशालय को ई–मेल : roadsdrup@gmail.com/ग्रुप पर बिना अनुस्मारक पत्र की प्रतिक्षा किये बिना उपलब्ध कराने हेतु सम्बन्धित को अपने स्तर से निर्देशित करने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

29/5

(ए0 सतीश गणेश)
निदेशक/अपर पुलिस महानिदेशक,
यातायात एवं सड़क सुरक्षा,
उत्तर प्रदेश।

R

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु–

समस्त जोनल अपर पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।
समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उप महानिरीक्षक, उत्तर प्रदेश।
समस्त पुलिस उपायुक्त, यातायात, उत्तर प्रदेश।
समस्त अपर पुलिस अधीक्षक, यातायात, उत्तर प्रदेश।

लिस उप महानिरीक्षक
, रती
29/5/26